The Compliance Report of First Stage Approval to diversion of 1.83 hectors forest land for laying of under ground sewage pipe line parallel to Shivpuri Jashi National Highway link Road in Madhav National Park vide letter No. 6-MPB 03/2018-BHO/003 date 02.04.2018 of Ministry of Environment Forest and Climate Change.

S.No.	Particulars	Compliance Report
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged	Agree
2	Forest land shall be handed over to the User Agency only after the User Agency has got possession of non forest land, if any, required for the project.	Already Handed over to DFO territorial Shivpuri.
3	Compensatory Afforestation :-	.
A	Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.83 hac. Non forest land. Survey No. 56 village Barkhari. Tah. shivpuri. District shivpuri at the cost of the User Agency. Compensatory afforestation will be of a mix of local indigenous species and monoculture of species will be avoided. The CA will be maintained for 10 years.	As per the report money has been already Deposited as per demand note Rs. 3557375.00 as per EE PHE Shivpuri letter No. 793 dated 23.02.2014 to Union Bank of India Acct. No. 344902010105423 copy to Enclosed 01 & 1A
B	The cost of Compensatory Afforestation and its maintained for 10 years shall be deposited in advance at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation erection of boundary pillars etc. on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the User Agency. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	As per the report money has been already Deposited as per demand note Rs. 3557375.00 as per EE PHE Shivpuri letter No. 793 dated 23.02.2014 to Union Bank of India Acct. No. 344902010105423 copy to Enclosed 01& 1A
C	Land identified for CA shall be clearly depicted on Survey of India Topo sheet of 1:50,000 The bearing of each corner point and distance between two successive points will be recorded along with the GPS reading of Geo Coordinate (Latitude & Longitude)	Already submitted vide letter No. 1252 dated 28.02.2014 to CCF Director Madhav National Park Shivpuri and submitted online on 08 May 2017 copy to Enclosed 02
D	The non Forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department.	Revenue land 1.83 hector transferred to DFO Territorial Shivpuri and land to be mutated as Reserve Forest is to be carried out by DFO Territorial Shivpuri
E	The non Forest land shall be notified as Reserve/ Protected Forest.	This activity to be done by DFO Shivpuri (Territorial)
4	Net Present Value (NPV)	Net Present Value for 1.83 hector of forest land deposited by PHE Department vide letter No 1435 dated 07.05.2018 Amount Rs. 14694900.00 as per Demand note of CCF & Officiating Director Madhav

<table>
<tr><td></td><td></td><td>National Park Shivpuri's letter no. 973 dated 28.04.2018 copy to Enclosed 03</td></tr>
<tr><td>A</td><td>The State Government shall charge the" Net Present Value" (NPV) for the 1.83 hac of forest land to be diverted under the proposal from the User Agency as per the order of the Honble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.032008, and 09.05.2008 in IA No. 566 inWP (Civil) no. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter No. 5-1/1998 -FC (Pt.II) dated 18.09.2003 as well as letter No. 5-2/2006 FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007 FC dated 05.02.2009 in this regards.</td><td>Net Present Value for 1.83 hac of forest land deposited by PHE Department vide letter No 1435 dated 07.05.2018 Amount Rs. 14694900.00 as per Demand note of CCF & Officiating Director Madhav National Park Shivpuri's letter no. 973 dated 28.04.2018 copy to Enclosed 03 & 3A, 3B</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Additional amount of the NPV of diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Honble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency which shall furnish an undertaking this effect.</td><td>Undertaking with this regard is submitted User Agency is agreed to do so. copy to Enclosed 04</td></tr>
<tr><td>5</td><td>All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-Portal (http;//forestsclearance.nic.in)</td><td>All the funds Deposited by PHE Department as per following:-
<table>
<tr><th>S.No</th><th>Particulars</th><th>Amount</th><th>Remark</th></tr>
<tr><td>1</td><td>5% of Project cost 730.34 lacs</td><td>3616700.00</td><td>deposited by PHE Department vide letter No 1435 dated 07.05.2018</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Net Present Value of 1.83 Hector forest areas @ 803000.00 per Hector amount 10 time of 1469490.00</td><td>14694900.00</td><td>deposited by PHE Department vide letter No 1435 dated 07.05.2018</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cost of 10</td><td>3557375.00</td><td>Deposited by EE</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	years Alternative plantation at Govt. land (non forest) Village Dongri (Berkhari) survey no. 56 Tehsil Shivpuri Distt. Shivpuri vide collector Shivpuri order letter No. 15 dated 13.04.2016		PHE Shivpuri letter No. 793 dated 23.02.2014 to Union Bank of India Sunder Nagar New Delhi. Acct. No. 344902010105423
	Total	**21868975.00**	

6	Certified geo-referenced map of proposed diversion shall be submitted before issuance of working permission in case of linear project.	Already submitted vide letter No. 1252 dated 28.02.2014 to CCF & Director Madhav National Park Shivpuri. as per details given in point No. 3C
7	The pipeline shall be laid down 2.0 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled.	Agree
8	The boundary of he diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillars to pillars.	Agree
9	Relevant direction contained in various notification issued by the	EE PHE Shivpuri has already carried out the

	Central Government under the provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and Environment (Protection) Rule 1986 made there under and as amended from time to time regarding use of fly ash shall be fully complied with.	Environment Impact Assessment report by "E.C. Engineers Vishwasariya nagar Gopalpura Jaipur" copy to report is submitted as enclosed 05
10	The user agency shall obtain Environment Clearance if required.	Agree as per point No. (9) above
11	Muck disposal if required should be taken up as per the scheme approved by the Forest Department.	Agree
12	Soil conservation measures if required should be taken up by the user agency for which fund should be provided as per the current rate of works.	As per the demand note of DFO Territorial Shivpuri and Director Madhav National Park Shivpuri money has already been transferred to the CAMPA account as per details given in point No. 3A and 5
13	The user agency will defray the cost of removed of 1142 trees. Ho0wever only the required and minimum number of trees and bamboos will be felled. Felling of trees shall be carried out by the State forest Department.	Agree
14	No damage shall be done to flora & fauna.	Agree
15	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials to be used for execution of the project work Camps shall not be allowed in Forest Area.	Agree
16	Proposed temporary labour camps outside the forest area are to be dismantled and removed. The labourers shall be sent back immediately after the completion of the work.	Agree
17	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the project proposal.	Agree
18	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	Agree
19	The condition stipulated by 41st meeting of NBWL agenda No. 41.4.1.1 and CWLW letter No. व.प्र./माचि./मा.रा.उ./सीवेज/13–6/2888 dated 04.05.2017 shall be strictly complied by user agency.	Agree
20	The user agency shall provide fuel preferably alternate fuel to the staff and labourers working at the site to avoid damage/felling of	Agree

	trees and pressure on forest areas.	
21	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of User agency or the project life whichever is less.	Agree
22	The user agency shall submit compliance report as in 1st January of every year to the Nodal Officers of the State.	Agree
23	The State Government shall monitor compliance of condition of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st July of every year.	Agree
24	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	Agree
25	Statutory provisions under various Acts. Rules made there under and guidelines applicable to this project shall be strictly adhered to.	Agree
26	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation and development of forest & wildlife.	Agree
27	The compliance report shall be upload on e-Portal (http;//forestsclearance.nic.in)	Compliance report is uploaded on e-Portal on Dated 08.05.2018

DIRECTOR
M.N.P. Shivpuri (M. P.)

for Executive Engineer,
Public Health Engg. Division,
Shivpuri (M.P.)

5

Encl. 01
6

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी

क्रमांक............/लेखा/का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड शिवपुरी,दिनांक.......................

प्रति,

वन संरक्षक
वनमण्डल शिवपुरी

विषयः–सीवर लाईन बिछाने हेतु 1.83 हैक्टर भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कार्य आयोजना के तहत राशि जमा करने की जानकारी वावत ।

सन्दर्भः– आपका पत्र कमांक/ डी एम/2016/ 1304 शिवपुरी दिनांक 19.02.16

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में 1.83 हैक्टर भूमि की दस वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के लिये 3557376.00 की राशि सन्दर्भित पत्र द्वारा बताये गये खाता में ई–चैक कमांक W390514586 दिनांक 19.02.2016 से राशि रू. 3557376.00 जमा किये जा चुके है ई –पेमेन्ट के प्रिंट की छाया प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

-sd-
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

पृ0क्रमांक 794 /लेखा/का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड शिवपुरी,दिनांक 23/2/16

प्रतिलिपिः–

सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग परियोजना उपखण्ड शिवपुरी की सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

Chandan_Acc_L(C)

Encl, Page 1

7

Advice No & Date: 908 19/02/2016

Bank Name: स्टेट बैंक आफ इन्दौर (इंडिया)-शिवपुरी

S. No.	Voucher No.	Cheque No & Date	Total Amount	DDO CODE	Payee Name	Amount	IFSC Code and Bank Name		Account Number
	4215/3	W390514583 19/02/2016	3,30,908.00	3903402001	B S PACHAURI	3,13,158	ANDB0000168	ANDHRA BANK-GWALIOR-GWALIOR	01683110000[illegible]
					SHRI MUNENDRA DONERIYA	17,750	SBBJ0010478	STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR GWALIOR-GWALIOR	51034029[illegible]
	4215/4	W390514584 19/02/2016	47,700.00	3903402001	SHRIRAM TRADERS GUNA	47,700	UTIB0000679	AXIS BANK-GUNA-GUNA	91202004[illegible]
3	8443/59	W390514585 19/02/2016	3,51,702.00	3903402001	KALI CHARAN	3,51,702	SBIN0005782	STATE BANK OF INDIA-JIWAJIGANJ MANDI-MORENA	10526601[illegible]
4	8443/59	W390514586 19/02/2016	35,57,376.00	3903402001	COMPENSATORY AFFORESTATION FUND CAF MP	35,57,376	UBIN0534498	UNION BANK OF INDIA-SUNDAR NAGAR - NEW DELHI-NEW DELHI	344902010105423 (344902010105423)

...ial%2019022016.htm

...शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

19/02/2016

Encl. 02

कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी

8

क्रमांक 1252 / परि. / का.यं. / लो.स्वा.यां. / खण्ड / शिवपुरी.

प्रति,

दिनांक 28/2/15

मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक
माधव राष्ट्रीय उद्यान,
शिवपुरी

विषय– माधव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से गुजरने वाले शिवपुरी–झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सीवर लाइन बिछाने बावत्।

संदर्भ– आपका पत्र क./मा.चि/14/286 शिवपुरी
दिनांक 03.02.2014

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माधव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से गुजरने वाले शिवपुरी–झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बिछाई जाने वाली सीवर लाइन की अनुमति हेतु आपके द्वारा प्रेषित प्रपत्र आवश्यक जानकारी भरकर संलग्न प्रेषित है। कार्य के लिये आवश्यक 1.83 हेक्टेयर भूमि नेशनल पार्क के क्षेत्र में होने के कारण इस संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव आवश्यक प्रतीत नहीं होता है, अतः संलग्न नहीं किया जा रहा है।

कृपया अपने कार्यलय से भी आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में भरकर, आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु शीघ्र कार्यवाहीं करने का कष्ट करें।

सहपत्र:– उपरोक्तानुसार

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

पृ0क्रमांक 1253 /परि. / का.यं. / लो.स्वा.यां. / उपखण्ड / शिवपुरी.

दिनांक 28/2/15

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कलेक्टर जिला शिवपुरी।
2. सहायक यंत्री लोक स्वाँस्थ्य यांत्रिकी परियोजना उपखण्ड शिवपुरी।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी 03

क्रमांक................/ लेखा / का.यं. / लो.स्वा.यां. / खण्ड / शिवपुरी, दिनांक........................

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक एंव संचालक
माधव राष्ट्रीय उद्यान , शिवपुरी

विषयः—माधव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से गुजरने वाले शिवपुरी —झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग लिक रोड के किनारे 1.83 हैक्टेयर वनक्षेत्र में भूमिगत सीवर लाईन बिछाने के लिये राशि जमा करने के सम्बन्ध में ।

संदर्भः—आपका पत्र कमांक 973 दिनांक 28.04.2018

———00———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र से माधव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से गुजरने वाले शिवपुरी —झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग लिक रोड के किनारे 1.83 हैक्टेयर वनक्षेत्र में भूमिगत सीवर लाईन बिछाने के लिये भेजे गये मांग पत्र, चालान एंव आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये खातों में राशि का ई—भुगतान निम्नानुसार कर दिया गया है —

कं.	विवरण	विभाग नाम	ई— चैक कमांक	दिनांक	भुगतान राशि
1	प्रोजेक्ट कॉस्ट 730.34 लाख रू. की 5 प्रतिशत राशि	म.प्र. टायगर फाउंडेशन सोसाइटी	W390521525	05.05.2018	36,16,700.00
2	1.83 हेक्टेयर वनक्षेत्र की नेट प्रेजेन्ट वैल्यु	मध्य प्रदेश केम्पा	W390521526	05.05.2018	1,46,94,900
				Total:-	**1,83,11,600.00**

ट्रेजरी की ई— चैक भुगतान की प्रतियां आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

सलंग्न :— उपरोक्तानुसार 2 प्रतियां

1435

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

7-5-18 पृ0क्रमांक 1436 / लेखा / का.यं. / लो.स्वा.यां. / खण्ड शिवपुरी,दिनांक 7-5-18

प्रतिलिपिः—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. मुख्य वन संरक्षक , शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कलेक्टर , जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. सहायक यंत्री लोक स्वा.या.विभाग परियोजना उपखण्ड शिवपुरी की ओर उपरोक्तानुसार पालनार्थ प्रेषित ।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

Encl. 03-A

1°

Cheque Details

Cheque No	W390521525	Payment Mode	E-Cheque
Treasury Name	3903402001- E.E.P.H.E.DIVISION SHIVPURI		

Party Code	Party Name	Account No	Bank Name	Branch Name	IFSC Code	MICR Code	Amount
200048121127	MP TIGER FOUNDATION SOCIETY	10571048460	2-STATE BANK OF INDIA	001308-TT NAGAR, BHOPAL	SBIN0001308	462002002	3,616,700

One Record found.

1

Close

Cheque Details

Cheque No	W390521526	Payment Mode	E-Cheque
Treasury Name	3903402001-E.E.P.H.E.DIVISION SHIVPURI		

Party Code	Party Name	Account No	Bank Name	Branch Name	IFSC Code	MICR Code	Amount
200048121099	MADHYA PRADESH CAMPA	1507619926068408	17-CORPORATION BANK	000371-NEW DELHI LODHI COMPLEX	CORP0000371	110017007	14,694,900

One Record found.

1

End - 04
12

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिवपुरी नगर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा सीवर लाइन प्रोजक्ट के तहत माधव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में 1.83 हेक्टेयर वन भूमि पर सीवर लाइन डाली जानी है। उक्त भूमि के सीमांकन के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत डिमाण्ड नोट अनुसार राशि विभाग द्वारा जमा कराई जा चुकी है, इसके अतिरिक्त यदि कोई ड्यूज राशि जमा कराई जाना हो तो विभाग द्वारा उसका भुगतान करने हेतु वचनबद्ध है।

दिनाँक 07.05.2018

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क्र. 15 / 2015–16 / अ–20(3)

ग्राम डोंगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे नं. 56 का रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु म.प्र.शासन वन विभाग को हस्तांतरण करने के संबंध में।

// आदेश //

(पारित दिनांक 13/5/16)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी के पत्र कमांक 912 / परि / का.या. / लो.स्वा.या / खण्ड दिनांक 29.02.2016 द्वारा ग्राम डोंगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे नं. 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि सीवर लाइन डालने में वन विभाग की समतुल्य भूमि प्रभावित है।

नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 127 / 2015–2016 / अ–74 में अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने जांच प्रतिवेदन भेजकर प्रतिवेदित किया है कि ग्राम डोंगरी के शासकीय भूमि सर्वे नं. 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर(का.का.) जो अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 02 / 15–16 / अ–59 आदेश दिनांक 28.10.15 द्वारा पूर्व में भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु सुरक्षित की गई है, को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किया जा सकता है।प्रस्तावित भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार शिवपुरी द्वारा इस्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई जिसमें किसी की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई तथा ग्राम पंचायत कराई कैरउ के ठहराव प्रस्ताव कमांक 09 दिनांक 27.01.2016 से पंचायत को कोई आपत्ति होना बताया है व पटवारी द्वारा भूमि आवंटन के प्रस्ताव रिपोर्ट में अक्स नक्शा, खसरा प्रस्तुत किया गया है तथा प्रस्तावित भूमि पर किसी का कोई अतिकमण नही होना बताया है।

अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा अपने प्रकरण कमांक 62 / 15–16 / अ–74 के प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2016 द्वारा नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रस्तावित भूमि ग्राम डोंगरी की शासकीय सर्वे नं.56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को हस्तातंरण करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी एवं नायब तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम डोंगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे 56 का रकवा 6.00 हेक्टर भूमि में से रकवा 1.83 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4-1 की कंडिका 36 के तहत निम्न शर्तो के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित की जाती है:-

1. भूमि जिसे प्रयोजन हेतु हस्तांरित की जा रही है उसका प्रयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावे। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा भूमि का कब्जा व भूमि राजस्व विभाग के हित में प्राप्त किया जाएगा।
2. आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा ।

प्रकरण में संलग्न अक्श भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी हस्तान्तरित भूमि का खसरे में अमल कराये एवं सम्बधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य सौपे एव अधिपत्य रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न कराये। बाद कार्यवाही प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

13/4/16

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म0प्र

पृ. कमांक 15 /15-16/अ-20(3)/नजूल/2016/1947 शिवपुरी, दिनांक 13/04/2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन,राजस्व विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिला शिवपुरी की ओर हस्तांतरित की गई भूमि का अधिपत्य लेने हेतु।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
7. अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराएं एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कर भूमि का अधिपत्य दिलाया जाकर प्राप्ति की अभिस्वीकृति लेंवे।
9. राजस्व निरीक्षक नजूल शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13/4/16

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म0प्र

14

2डी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी

क्रमांक 1990 / परि. / का.यं. / लो.स्वा.यां. / खण्ड / शिवपुरी. दिनांक 12/06/18

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक
माधव राष्ट्रीय उद्यान,
शिवपुरी

विषयः--माधव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से गुजरने वाले शिवपुरी--झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक रोड के किनारे भूमिगत सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु 1.83 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री लोक स्वा.यां.विभाग शिवपुरी को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः--1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू--प्रबंध) सतपुडा भवन प्रथम तल भोपाल का पत्र कमांक 972 दिनांक 03.04.2018

2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 1561--62 दिनांक 07.05.2018

उपरोक्त विषय में निवेदन कर लेख है कि संदर्भित पत्र कमांक 01 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू--प्रबंध) सतपुडा भवन प्रथम तल भोपाल द्वारा चाहा गया पालन प्रतिवेदन, वचन पत्र एवं जमा राशि की रशीद संदर्भित पत्र कमांक 02 से पूर्व में ही आपकी ओर भेजी जा चुकी है।

संदर्भित पत्र कमांक 01 के पैरा कमांक 02 में भूमि हस्तातरण / नामांतरण कब्जा रशीद, पी--2 फार्म सबंधित विभाग से उपलब्ध न होने के कारण भेजा जाना संभव नहीं हो सका।

अतः भूमि हस्तातरण / नामातरण, कब्जा रशीद एवं पी--2 फार्म पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर भेजकर अनुरोध है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी--झांसी लिंक रोड के किनारे सीवर लाइन बिछाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः-- उपरोक्तानुसार

for कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

पृ0क्रमांक................/परि. / का.यं. / लो.स्वा.यां. / उपखण्ड / शिवपुरी. दिनांक..............

प्रतिलिपीः--

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू--प्रबंधन मध्य प्रदेश भोपाल सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियंता लो.स्वा.यां. विभाग सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता लो.स्वा.यां. विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री लो.स्वा.यां. विभाग ग्वालियर मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य वन सरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सहायक यंत्री लोक स्वा.यां. विभाग परियोजना उपखण्ड शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।

संलग्नः-- उपरोक्तानुसार

S/d
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

Forest Letter

खसरा नक्शा प्रतिलिपि

ग्राम - [illegible]

पटवारी ह.नं. - 10 [illegible]

रा.नि.मं. - 01 [illegible]

तह. जिला - [illegible]

(छ.ग.)

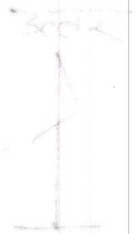

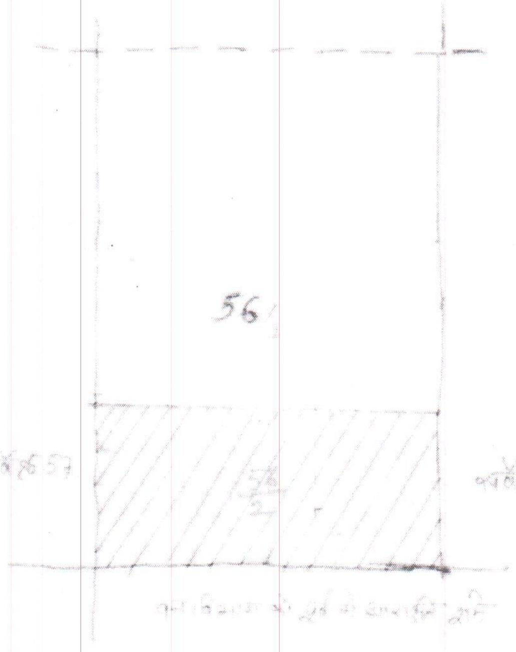

नोट: खसरा नक्शा प्रतिलिपि ग्राम उपलब्ध नक्शा [illegible] हेतु [illegible]
खसरा नं 56 कुल रकबा 6.00 हेक्टेयर में रकबा 1.84 हेक्टेयर प्रस्तावित किया है।
प्रस्तावित होगा लालस्याही से अंकित किया गया है
लालस्याही से अंकित कर अंकन हेतु प्रस्तुत है।

पटवारी ह.नं. 10

R.I. रा.नि.

कब्जा रसीद

रसीद लिखे दीगर हम वनविभाग कर्मियों ने कि आज दिनांक 08/06/2018 को राजस्व विभाग के पटवारी कुलभूषणसिंह तोमर, टी.एच.ई. विभाग के आरक्षकप्रभारी श्री एस.आर. पटोदार, उपरांजी श्री एम.डी. गौर, एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी खातेगांव श्री वी.के. शर्मा की उपस्थिति में ग्राम डोंगरी स्थित सर्वे क्र 56 कुल रकबा 6.00 हेक्टेयर में से 1.83 हेक्टेयर, भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित भूमि का सीमांकन किया गया एवं चिन्हांकित बिंदु कायम किए व जमीन से सीमांकन की पत्थरबाजाहट कायम कर सीमाचिन्ह कायम किए गए। सीमांकन उपरांत उपरोक्त अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में, विधिवत कब्जा प्राप्त करवाया गया। उक्त मौके पर भूमि स्वामित्व बाबत संबंधी विवाद शेष नहीं है। अतः उपरोक्त कब्जा प्राप्त कर सीमांकन टिप्पणी प्रदान की।

कब्जा रसीद लिख दी ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

समक्ष :-

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर

प.स. कर्मचारी

शिवराज सिंह सोनी
कोट-गढ़ डोंगरी

(पटवारी)

एस.आर. पटोदार

पंचनामा

दिनांक :- 08/06/2018

हम अधोहस्ताक्षर करने वाले पंच यह पंचनामा लिखा देते हैं कि आज दिनांक 08/06/2018 को पी.एच.ई. विभाग के सहायक यंत्री श्री एस आर पाटीदार एवं उपयंत्री श्री एम.डी. गौड़ एवं, वनपरिक्षेत्राधिकारी खतनवाड़ा श्री वी के शर्मा, परिक्षेत्र सहायक प्रभारी डोंगरी श्री हरिशंकर कुशवाह, बीट गार्ड डोंगरी श्री शिवराज लोधी एवं पटवारी पहुवा 10 [illegible] ने ग्राम डोंगरी [illegible] पहुवा 10 के सर्वे क्र 56 रकबा [illegible] हैक्टेयर में से प्रस्तावित 1.83 हैक्टेयर भूमि को वन विभाग को हस्तांतरण करने हेतु सीमांकन किया। पटवारी नक्शा अनुसार मौके पर 1.83 हैक्टेयर का सीमांकन किया गया जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में :- सर्वे क्र 55 की भूमि का भाग

पश्चिम में :- सर्वे क्र 56 की भूमि का भाग

उत्तर में :- सर्वे क्र 56 की भूमि का भाग

दक्षिण में :- डोंगरी [illegible] एवं पी.एफ. कक्ष क्र 1273

सीमांकित भूमि की भौगोलिक स्थिति निम्नानुसार है :-

1. N 25° 41' 3.46" E 77° 49' 53.82"
2. N 25° 41' 16.36" E 77° 49' 53.31"
3. N 25° 41' 10.82" E 77° 50' 02.12"
4. N 25° 41' 11.94" E 77° 50' 00.66"

उपरोक्त सीमांकित भूमि को नक्शानुसार [illegible] पर सीमांकन किया गया है जिसमें सभी ने सहमति जताई [illegible] चतुर्सीमा जानकर स्वीकृति हेतु भूमि हस्तांतरण हेतु सहमत हुए। [illegible] पंचनामा लिख दिया सो सही है [illegible]

हस्ताक्षर पटवारी

शिवराज सिंह लोधी बीट गार्ड - डोंगरी

हरिशंकर [illegible] प्रभारी

एस. आर. पाटीदार सहायक यंत्री

एम डी गौड़

वी. के. शर्मा [illegible]

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

खसरा

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं कर्ज का ब्यौरा रुपये में

ग्राम: डोंगरी	हल्का : 10-करईकेरऊ	रा.नि.म. : सुभाषपुरा	तहसील : शिवपुरी	जिला : शिवपुरी	वर्ष: 2017-2018

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये अंश का क्षेत्रफल	खाते की भूमि — क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई: फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	खाते की भूमि — पड़ती का क्षेत्रफल: चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56 लाल बी	6.000 योग कर 6.000	(शासकीय)									न्यायालय अपर कलेक्टर महो के प्र.क्र.-०२/१५-१६/अ-५९ आ.दि-२८.१०.१५ से रकबा १.८३ है. भूमि कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड शिवपुरी को सुरक्षित की गयी। न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्र.क्र.-15/2015-16/अ-20-3 आ.दि.-13.04.16 से रकबा 1.83 है. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश शासन वन विभाग को सशर्त हस्तान्तरित की जाती है।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Specimen copy
Pending for Digital Signature

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में

फार्म पी -II
खसरा

ग्राम: डोंगरी | हल्का : 10-करईकेरऊ | रा.नि.म. : सुभाषपुरा | तहसील : शिवपुरी | जिला : शिवपुरी | वर्ष: 2017-2018

सी. एल. आर. न. : 11050201000100480033359

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाता मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व या लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान मे फसल न उगाई गई — फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56 लाल वी	6.000 कु.क. 6.000	(शासकीय)									न्यायालय अपर कलेक्टर महो के प्र.क्र.-०२/१५-१६/अ-५९ आ.दि-२८.१०.१५ से रकबा १.८३ है. भूमि कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड शिवपुरी को सुरक्षित की गयी। न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्र.क्र.-15/2015-16/अ-20-3 आ.दि.-13.04.16 से रकबा 1.83 है. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश शासन वन विभाग को सशर्त हस्तांतरित की जाती है।

28 MAY 2018

...ya Pradesh

https://mpbhulekh.gov.in/mpbhulekh...

आयुक्त भू - अभिलेख एवं बंदोबस्त , मध्य प्रदेश

शुल्क रसीद (आवेदक की प्रति)

आवेदन संख्या: 1305020100010048000584

तिथि : 25/05/2018

गाँव: डोंगरी हल्का: 10-करईकेरऊ रा. नि. मं.: सुभाषपुरा तहसील: शिवपुरी जिला: शिवपुरी

सेवा का विवरण: खसरा की प्रतिलिपि

आवेदक का नाम: राम बाबू शर्मा

सी. एल. आर. न.:	खसरा न.:	वर्ष:		
1105020100010048003359	56	2017-2018	सेवा शुल्क:	₹ 30.00 /-
			आईटी शुल्क:	₹ 0.00 /-
			कुल राशि:	₹ 30.00 /-

नोट: यह रसीद , **23/06/2018** तक मान्य है | यह एक कम्प्यूटर जनरेटेड रसीद है और इस पर हस्ताक्षर और मुहर की आवश्यकता नहीं है |

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी

क्रमांक..1561..../परि./का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड/शिवपुरी, दिनांक ..7/5/18

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक
माधव राष्ट्रीय उद्यान,
शिवपुरी

विषयः—माधव राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से गुजरने वाले शिवपुरी—झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक रोड के किनारे भूमिगत सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु 1.83 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री लोक स्वा.यां.विभाग शिवपुरी को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः—1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) सतपुडा भवन प्रथम तल भोपाल का पत्र कमांक 972 दिनांक 03.04.2018

2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र कमांक 6-MPB 03/2018-BHO/003 dated 02.04.2018

उपरोक्त विषय में निवेदन कर लेख है कि संदर्भित पत्र कमांक 01 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) सतपुडा भवन प्रथम तल भोपाल द्वारा चाहा गया 1.83 हेक्टेयर वनभूमि के डायवर्सन के संबंध में पालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः— पालन प्रतिवेदन 3 No

for कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

पृ0क्रमांक................../परि./का.यं./लो.स्वा.यां./उपखण्ड/शिवपुरी, दिनांक..................

प्रतिलिपीः—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू—प्रबंधन मध्य प्रदेश भोपाल सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियंता लो.स्वा.यां. विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता लो.स्वा.यां. विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री लो.स्वा.यां. विभाग ग्वालियर मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य वन सरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान
आ.क्र. 1261
दि. 9-5-

S/d
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड शिवपुरी

Forest Letter